

कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद बरेली ।

पत्रांक: जिला-01 / अभि० / पी०ओ० / १२/२६५

दिनांक: ०५-०८-२०१५

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय उ०प्र०,
लखनऊ ।

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में राष्ट्रीय जॉच एजेन्सी में
लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यमुक्त करने विषयक ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अभियोजन निदेशालय उ०प्र० के पत्रांक: एक-दो-१३६-
२००४(१३) / ३५४३ / १५ दिनांक: ५ अगस्त २०१५ के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-२०६६ / छः-
पु०-९-१५-३१(६५) / २०१५ दिनांक: ३१ जुलाई २०१५ द्वारा निर्देशित किया गया है कि अभिषेक कुमार
बगड़िया अभियोजन अधिकारी को राष्ट्रीय जॉच एजेन्सी में लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण
करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त के अनुपालन में श्री अभिषेक कुमार बगड़िया, अभियोजन अधिकारी वर्तमान
तैनाती जनपद बरेली को आज दिनांक: ०५-०८-२०१५ को अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है ।
कार्यालय के आख्या के अनुसार श्री अभिषेक कुमार बगड़िया के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही
लम्बित नहीं है और न ही कोई विभागीय देयक अवशेष हैं । श्री अभिषेक कुमार बगड़िया द्वारा प्राप्त
शासकीय सम्पत्ति कितावें, लैपटॉप, सी०य०जी० सिम तथा इन्टरनेट मौडेम आदि अभियोजन निदेशालय
लखनऊ में दिनांक: २१-०७-२०१५ को जमा कर सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित की थी ।

संयुक्त निदेशक अभियोजन,
जनपद बरेली ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1:- जिलाधिकारी बरेली ।
- 2:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ।
- 3:- अपर निदेशक बरेली परिक्षेत्र बरेली ।
- 4:- मुख्य कोषाधिकारी बरेली ।
- 5:- श्री अभिषेक कुमार बगड़िया, अभियोजन अधिकारी, बरेली ।

5.8.15

संयुक्त निदेशक अभियोजन,
जनपद बरेली ।
एकुक निदेशक अभियोजन
बरेली